दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आरक्षित: 7 नवंबर, 2013
निर्णीत: 6 जनवरी, 2014

<u>आप.अ. 478/2000</u>

ए.नागराजन ..... अपीलार्थी

द्वारा : श्री टॉम जोसेफ, अधिवक्ता

बनाम

राज्य .....प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री एम.एन.डुडेजा, अति.लो.अभि.।

कोरमः
माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.पी.गर्ग

<u>न्या. एस.पी.गर्ग</u>

1. ए. नागराजन (अपीलार्थी) ने सत्र मामला संख्या 569/96 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश के दिनांकित 02.08.2000 के निर्णय की वैधता और शुद्धता पर प्रश्न उठाए हैं, जो प्राथमिकी संख्या 232/88 पुलिस थाना सरस्वती विहार से उत्पन्न हुई थी, जिसके द्वारा उसको भा.दं.सं. की धारा 498क/306 के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया गया था।

दिनांकित 03.08.2000 के आदेश द्वारा उसे भा.दं.सं. की धारा 306 के अंतर्गत 5,000/- रुपये जुर्माने के साथ तीन वर्ष के कठोर कारावास और भा.दं.सं. की धारा 498क के अंतर्गत 1,000/- रुपये जुर्माने के साथ डेढ़ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी। संक्षिप्त तथ्यों को इस अपील के निपटान के लिए सार-कथन नीचे किया गया है:

2. मीना का विवाह अपीलार्थी (ए.नागराजन) से हुआ था और इस विवाह से उसे पुरुष शिशु पुत्र का जन्म हुआ। उसके माता-पिता ने उसकी शादी के समय अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार विभिन्न सामान जिसमें सोने के गहने, टी.वी., पलंग और अलमारी सम्मिलित थें। दिनाँक 5/6.08.1988 की मध्य रात्री को मीना ने अपने वैवाहिक घर में आत्महत्या कर ली। उसके भाई परम स्वामी की शिकायत पर भा.दं.सं. की धारा 498क/302/34 के तहत दिनाँक 06.08.1988 को प्राथमिकी दर्ज की गई। जाँच के दौरान, तथ्यों के साथ सुपरिचित साक्षीगण के बयानों को अभिलिखित किया गया। शव का शव परीक्षण कराया गया। जाँच पूरी होने के पश्चात, मृतका के पति- ए.नागराजन और उसकी सास- पावलाई के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 498क/304ख के तहत अपराध करने के लिए आरोप-पत्र दायर किया गया था। उन दोनों पर विधिवत आरोप लगाया गया और विचारण पर लाया गया था। अभियोजन पक्ष ने उनका अपराध साबित करने के लिए पंद्रह साक्षीगण को परीक्षित किया था। अपने 313 बयानों में, अभियुक्त व्यक्तियों ने अपराध में अपनी संलिप्तता से इनकार

किया और गलत निहितार्थ का आरोप लगाया था। साक्ष्य का मूल्याकंन करने और पक्षकारों की प्रतिद्वंद्वी प्रतिविरोंधों पर विचार करने के पश्चात, विचारण न्यायालय ने विवादित निर्णय द्वारा अपीलार्थी- ए.नागराजन को भा.दं.सं. की धारा 498क/303 के तहत दोषी ठहराया था। कहने की जरूरत नहीं है कि पावलाई को आरोपों से बरी कर दिया गया था और राज्य ने उसके दोषमुक्ति के विरुद्ध कोई अपील नहीं की थी।

3. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख को परीक्षित किया था। प्रथमत:, मामला भा.दं.सं. की धारा 498क/302 के तहत दर्ज किया गया था, जिसके तहत शिकायतकर्ता-परम स्वामी को अभियुक्त व्यक्तियों के हाथों अपनी बहन की हत्या का संदेह था। जाँच के दौरान, जाँच अभिकरण हत्या करने के लिए अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर करने के लिए कोई साक्ष्य एकत्र करने में असमर्थ रही थी। चूंकि मीना की मृत्यु उसकी शादी के सात वर्ष के अंदर हुई थी, इसलिए दोनों अभियुक्त व्यक्तियों पर भा.दं.सं. की धारा 498क/304ख के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था। फिर से, अभियोजन पक्ष मुकदमे के दौरान भा.दं.सं. की धारा 304ख के तहत आरोप को सही साबित करने में असमर्थ रहा था। आक्षेपित निर्णय में विचारण न्यायालय की टिप्पणियाँ ध्यान देंने योग्य हैं:

> *"..... मैं विद्वान् प्रतिरक्षा काउन्सिल के प्रतिविरोधों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित करने के लिए निवेदित साक्ष्य कि मीना को उसकी मृत्यु से ठीक*

पूर्व दहेज के लिए या दहेज के संबंध में दुर्व्यवहार या परेशान किया जा रहा था, बहुत ही दुर्बल प्रकार का साक्ष्य है, और यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि मीना को उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व दहेज के लिए या दहेज के संबंध में परेशान किया जा रहा था या उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 304ख के तहत दंडनीय अपराध साबित करने में विफल रहा है।"

4. यह ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण है कि साक्ष्य के एक ही संवर्ग पर, सह-अभियुक्त पावलाई, मृतका की सास को भा.दं.सं. की धारा 498क/304ख/303 के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया था। विचारण न्यायालय ने टिप्पणी की है:

"वर्तमान मामले में अभियुक्त पवलाई के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख में नहीं आए हैं, जिससे यह अभिनिर्धारित किया जा सके कि उसने मीना को आत्महत्या करने के लिए भी उकसाया था। यदि अभियुक्त पवलाई ने मीना से कुछ भी कहा था, तो भी उसे किसी भी अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि हिंदू परिवारों में सास द्वारा अपनी बहू के प्रति अशिष्ट और *असभ्य सामान्य घटना है यह धारा भा.दं.सं. की धारा 306 के प्रयोजन के लिए उकसाने का मामला नहीं बनता है।"*

5. यह स्वीकार्य स्थिति है कि मीना की शादी घटना से लगभग डेढ़ साल पूर्व ए. नागराजन (अपीलार्थी) से हुई थी और इस विवाह से उसे एक पुरुष शिशु

पैदा हुआ था। यह भी विवादित नहीं है कि दिनाँक 5/6.08.1988 की उस रात को मीना ने फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। शव परिक्षण रिपोर्ट (प्र.अभि.स.-7/क) में उसके शरीर पर किसी भी तरह की चोट नहीं पाई गई थी। अपीलार्थी ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि शादी के समय मृतका को दिए गए गहने गिरवी रखे गए थे। 313 बयान में, उसने बताया कि आभूषणों को उनके नवजात बेटे के 'मुंडन' समारोह को पूरा करने के लिए गिरवी रखा गया था। चूंकि उनके पास 'मुंडन' समारोह करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए उसकी पत्नी ने गिरवी रखने के लिए अपने भाई-परमा स्वामी के माध्यम से अपनी माँ को दिए | वह अपने गहने गिरवी रखने के बाद 3,500/- लेकर आई थी। 'मुंडन' समारोह के पश्चात, उसकी पत्नी ने अपनी माँ से सोने के गहने छुडवाने के लिए पैसे मांगे, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद, उसने अपने नियोक्ता रामनाथ सचदेवा से पैसे लिए और गहने छुडवाने के लिए अपनी माँ को सौंप दिए। जाँच अधिकारी ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि जाँच के दौरान उसे पता चला था कि मृतका ने अपने गिरवी रखे गहने छुडवाने के लिए रामनाथ सचदेवा से 3,400/- रुपये लिए थे। हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि गहने कब छुड़ा लिए गए थे। जाँच अधिकारी ने इस बात की जाँच नहीं करी कि गहने गिरवी रखने का उद्देश्य क्या था। अभि.स.3 (रामनाथ सचदेवा) की अभिसाक्ष्य से, जिसके घर में मीना नौकरानी के रूप में काम करती थी, पता चलता है कि मीना को अपने गहने गिरवी रख कर पैसे जुटाने में कोई

अप्रस्नता नहीं थी। वह उस व्यक्ति द्वारा अत्यधिक ब्याज लिए जाने के बारे में चिंतित हो रही थी जिसके पास उसने गहने गिरवी रखे थे और इस कारण से, उसने राम नाथ सचदेवा से 3,400 रुपये लिए थे ताकि अत्यधिक ब्याज के भुगतान से बचने के लिए गहने छुडाए जा सकें और गहने को उसके साथ फिर से गिरवी रखा जा सके। अभि.स.3 (रामनाथ सचदेवा) ने अभिसाक्ष्य दिया कि घटना से एक दिन पूर्व, मीना उससे मिलने आई थी और या तो पैसे लाने या गहने गिरवी रखने का वादा किया था अन्यथा उसका पति पैसे या गहने लाएगा। यह घटित नहीं हुआ। अभि.स.3 (रामनाथ सचदेवा) ने यह नहीं बताया कि क्या मीना उदास या तनावग्रस्त थी या उसे अपने पति के विरुद्ध कोई परिवेदना या शिकायत थी। वह लगभग 3 से 4 साल तक अभि.स.3 (रामनाथ सचदेवा) के घर पर काम कर रही थी और अगर उसने कभी दहेज की मांग के कारण अपने ससुराल वालों के हाथों क्रूरता या उत्पीड़न की शिकायत की तो कुछ भी नही हुआ। कल्पना के किसी भी विस्तार से, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आभूषणों को गिरवी रखने का आत्महत्या के साथ कोई सीधा संबंध था। आभूषणों को गिरवी रखने और मीना द्वारा अपने जीवन को समाप्त करने का कड़ा कदम उठाने की तिथि के मध्य पर्याप्त समय बीत चुका था। जाँच अधिकारी ने आसपास की परिस्थितियों की जाँच नहीं की, जिसने मृतका को दिनाँक 5/6.08.1988 की मध्य रात्रि को आत्महत्या करने के लिए उकसाया। बयान 313 में, अपीलार्थी ने दावा किया कि वह उस समय ससुराल

में मौजूद नहीं था। जाँच अधिकारी ने घटना के समय किसी विशिष्ट स्थान पर अपीलार्थी की उपस्थिति के संबध में जाँच नहीं की थी। उसने कहा कि लड़ाई के बारे में पड़ोसियों से पूछताछ की गई थी तथापि, यह साबित करने के लिए किसी पड़ोसी को परीक्षित नहीं किया गया था कि अपीलकर्ता दहेज की माँग पूरी न होने के कारण मृतका को उसके ससुराल में रहने के दौरान परेशान या प्रताड़ित करता था। उसके परिवार के सदस्यों के ये सभी आरोप उसके दुखद निधन के पश्चात सामने आए हैं। घटना से पहले, मृतका या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अपीलार्थी और उसकी माँ के विरुद्ध उनके आचरण और रवैये के लिए कभी भी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। मृतका को किसी भी समय उसको पिटे जाने के लिए कभी भी चिकित्सा जाँच के लिए नहीं ले जाया गया था। अभियोजन पक्ष के साक्षीगण ने अपीलार्थी द्वारा दहेज की वस्तुओं और धन की माँग के संबंध में अलग-अलग और विरोधी बयान दिए हैं। उन्होंने न्यायालय के समक्ष अपने बयान में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। शिकायत में अभि.स.-5 (परम स्वामी) ने अभिकथित किया कि अपीलार्थी और उसकी माँ शुरू से ही टी.वी. सहित दहेज की मांगों के संबंध में मीना को परेशान और प्रताड़ित करते थे। यह अभिलेख में आया है कि मृतका को शादी के समय टी.वी. दिया गया था और शुरुआत में अपीलार्थी और उसकी माँ द्वारा उसे ठीक से रखा था। आरोप अस्पष्ट और अनिश्चित हैं। इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं दी गई है कि मीना को शारीरिक या मानसिक यातना या उत्पीड़न कब दिया

जा रहा था। यह अभिलेख में है कि मृतका के माता-पिता उसके ससुराल से थोड़ी दूरी पर रहते थे। किसी भी स्तर पर, उन्होंने मृतका के प्रति क्रूरता के लिए अपीलार्थी और उसकी माँ का विरोध नहीं किया। केवल इसलिए कि अपीलार्थी 'शराब पीने' की बुराई से ग्रस्त था और वह पैसे बर्बाद करने का आदी था, यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वह उसकी मृत्यु का कारण था। आत्महत्या करने के लिए उकसाने या सहायता करने के लिए अभियुक्त की ओर से एक सकारात्मक कार्य के बिना, दोषसिद्धि को बनाए नहीं रखा जा सकता है। यहाँ इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि मीना को परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, हमला किया गया या निरंतर और लगातार उत्पीड़न किया गया था जिससे वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई थी। स्थापित क्रूरता इतनी गंभीर होनी चाहिए कि एक महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की संभावना हो। यह मात्र तथ्य कि मीना ने अपनी शादी के सात वर्षों के अन्दर आत्महत्या कर ली थी और वह अपने पति द्वारा क्रूरता का शिकार होने लिए विवश थी, अपने आप इस धारणा को जन्म नहीं देता है कि आत्महत्या उसके पति द्वारा उकसाने के कारण की थी। न्यायालय को मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को जाँचने की आवश्यकता है। न्यायालय द्वारा विचार की जाने वाली परिस्थितियों में से एक यह है कि क्या कथित क्रूरता ऐसी प्रकृति की थी जिससे महिला आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो सकती थी या महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को गंभीर चोट या खतरा हो

सकता था। क्रूरता के अपराध को सुधारने के लिए क्रूरता और आत्महत्या के बीच एक उचित संबंध स्थापित किया जाना चाहिए, जिसका इस तत्काल मामले में अभाव है।

6. *'गंगुला मोहन रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य',* 2010 (1) एस. सी. सी. 750 मामले में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियाँ ध्यान देंने योग्य हैं:

> ***"पश्चिम बंगाल राज्य बनाम ओरीलाल जायसवाल एवं अन्य*** *(1994) 1 एस.सी.सी 73 में इस न्यायालय ने सतर्क किया है कि न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा मुकदमे में प्रस्तुत साक्ष्यों का मूल्यांकन करने में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पीड़िता के साथ की गई क्रूरता ने वास्तव में उसे आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त करने के लिए उकसाया था। यदि न्यायालय के समक्ष यह प्रतीत होता है कि आत्महत्या करने वाला कोई पीड़िता सामान्य कलह, अशांति और घरेलू जीवन में अंतर के प्रति अतिसंवेदनशील* थी *जो उस समाज के लिए काफी सामान्य है जिससे पीड़ित संबंधित थी और इस तरह के कलह, अशांति और मतभेद से किसी दिए गए समाज में इसी तरह की परिस्थिति वाले व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाने की उम्मीद नहीं थी, तो न्यायालय की अंतरात्मा को इस निष्कर्ष के आधार पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि आत्महत्या के अपराध को उकसाने के आरोपित अभियुक्त को दोषी पाया जाना चाहिए।"*

7. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, अभियोजन पक्ष अपने मामले को तर्कसम्मत संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। संदेह का लाभ

अपीलार्थी को दिया जाता है और उसे बरी किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सजा को अपास्त किया जाता है। जमानत पत्र और प्रतिभू पत्र को उन्मोचित किया जाता है।

8. विचारण न्यायालय का अभिलेख तुरंत वापस भेजा जाए।

(एस.पी.गर्ग)
न्यायाधीश

जनवरी 06,2014/*टीआर*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*